छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   त्रयोदश सत्र   अंक-09

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022

(फाल्गुन 30, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 02, 05 से 13, 16 से 17 एवं 19 से 21, (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 03, 04, 14, 15 एवं 18 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: डॉ. विनय जायसवाल, श्री ननकीराम कंवर, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री अनूप नाग, श्रीमती इन्दू बंजारे, अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 38 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19,

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

पटल पर रखे ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने रायपुर जिले के ग्राम छेरीखेड़ी के ग्रामवासियों पर लाठीचार्ज एवं गैर जमानती धारा में गिरफ्तार किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय सभापति ने कथन किया कि आपकी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को माननीय अध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.20 बजे स्थगित की जाकर 12.28 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश का पालन उरगा थाना, जिला-कोरबा द्वारा नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(2) श्री गुलाब कमरो, सदस्य ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत् वनमंडल मरवाही द्वारा पुलिया एवं स्टॉपडेम निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी

(3) श्री चंदन कश्यप

(4) श्री ननकीराम कंवर

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अरूण वोरा, सभापति, याचिका समिति ने समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, प्रस्तुत किया ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा

(2) श्री पुरूषोत्तम कंवर

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

(4) श्री लालजीत सिंह राठिया

(5) श्री धरमलाल कौशिक

7. वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50,प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-30 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, पुन्नूलाल मोहले, **मांग संख्या-80** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, **मांग संख्या-19** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-79** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-7** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,

मांग संख्या-50 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डमरूधर पुजारी, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री प्रकाश शक्राजीत नायक, नारायण चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा,

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विनियोग विधेयक के पुर: स्थापन हेतु 4.00 बजे, का समय निर्धारित है। चूंकि अभी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है।

अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्रीमती ममता चन्द्राकर, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री पुन्नूलाल मोहले।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-1 पर श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, ननकीराम कंवर, केशव प्रसाद चंद्रा, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-2** पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, **मांग संख्या-6** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, ननकीराम कंवर, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-60** पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-12** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, ननकीराम कंवर, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-25** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-32** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-71** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-65** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

डॉ. रमन सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री संतराम नेताम,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) का पुर:स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम 139 के अधीन चर्चा कल ली जावेगी ।

रात्रि 08.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022 (चैत्र 1, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा